न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री सुनील कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	जी0सी0एम0एस0 नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
64 / 2023 / प्रार्थना पत्र	2023 / 322	25.07.2023	10.11.2025

उनवान

भंवरलाल पिता छीतर कहार निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–वादी

बनाम

1– श्री रामलाल पिता लक्ष्मण कहार निवासी शाहपुरा जिला भीलवाडा
2– श्री किशन पिता लक्ष्मण कहार निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
3– नवाब खां पुत्र भूरे खां कायमखानी निवासी भदाली खेड़ा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाडा
4– तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाडा

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र : कब्जेयाबी आराजियात् हेतु

उपस्थितः– श्री राजेश वर्मा – अधिवक्ता वादी
प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 – एकपक्षीय

निर्णय

उनवानी मामले में वाद पत्र बाबत कब्जेयाबी आराजी न्यायालय हाजा में विचाराधीन है जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है – यह है कि ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में वादी के खातेदारी अधिकार की जमाबंदी सं. 2076–2079 के खाता सं. 9774 / 7438 रकबा 0.09 है. एवं वादी एवं प्रतिवादीगण नं. 03 के संयुक्त खातेदारी की जमाबंदी नं. 2076–2079 के खाता सं. 7439 रकबा 0.20 है. स्थित है। वादी अपने खातेदारी अधिकार की आराजियात् पर बहैसियत मालिक के काबिज होकर काश्त कर रहा है। प्रतिवादीगण नं. 03 सहखातेदार होन से एवं प्रतिवादीगण नं. 04 लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाये गये है। जमाबंदी की नकलें साथ में पेश है। वाद पत्र के पैरा सं. 01 में वर्णित आराजियात् पर पड़ौसियों द्वारा कोराना काल में जबरन आगे बढ़ने के कारण वादी ने अपनी पैरा नं. 01 में वर्णित आराजियात् की पत्थरगढ़ी कराने हेतु श्रीमान् के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसके मुकदमा नं. 21 / 2021 होकर निर्णय अदालत श्रीमान् द्वारा 23.03.2021 को किया। उक्त निर्णय की पालना हेतु श्रीमान् का आदेश भू अभिलेख निरीक्षक, शाहपुरा के द्वारा दिनांक 21.06.2021 को मौके पर जाकर मौतबीर व्यक्तियों के सामने पत्थरगढ़ी की गई। जिसमें कुल 04 पत्थर गाड़े गये। उक्त पत्थरगढ़ी का पर्चा मौका सक्षम अधिकारी द्वारा बनाया गया। पर्चे मौके की नकल साथ में पेश है। भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा पत्थरगढ़ी किये जाने के बाद जो पर्चा मौका बनाया गया उसमें वादी की आराजी नं. 9774 / 7438 रकबा 0.09 है. एवं आराजी नं. 7439 रकबा 0.20 है. में से 0.05 है. पर प्रतिवादीगण नं. 01 व 02 का अवैधानिक कब्जा पाया गया। जिसे भौके पर्चे में लाईन मार्क ए–बी–शी से दर्शाया गया। उक्त आराजियात् का कब्जा सक्षम न्यायालय से प्राप्त करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। इस कारण वादी उक्त आराजी का कब्जा प्राप्त करने हेतु श्रीमान् के यहां वाद पत्र प्रस्तुत कर रहे है। वाद पत्र के पैरा सं. 01 में वर्णित आराजियात्

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला–भीलवाड़ा(राज.)

जो कि वादी के खातेदारी अधिकार की होकर वावी के कब्जे काश्त में चली आ रही थी, परन्तु प्रतिवादीगण नं. 01 व 02 के द्वारा 0.05 है. पर अवैध रूप से अतिचार कर लेने के कारण वादी को अपने खातेदारी अधिकार की आराजियात् की पूरी उपज प्राप्त नहीं हो पाई और प्रतिवादीगण नं. 01 व 02 के कारण वादी को करीब 15000/– रुपये प्रति फसल का नुकसान हो रहा है। जो भी वादी प्रतिवादीगण नं. 01 व 02 से प्राप्त करने के अधिकारी है। वादीं के द्वारा प्रतिवादीगण नं. 01 व 02 को मौके पर्चे में वर्णित 0.05 है. अवैध अतिचार को रोकने बाबत् दिनांक 15.10.2022 को कहा तो प्रतिवादीगण नं. 01 व 02 ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया और आमादा फौजदारी हुआ। इस कारण से भी वांची कब्जेयाबी का यह वाद पत्र प्रस्तुत कर रहा है। वादी की पैरा नं. 01 में वर्णित आराजी नं. 9774/7438 रकबा 0.09 है. एवं आराजी नं. 7439 रकबा 0.20 है. पर वर्ष 2020 सें ही प्रतिवादीगण नं. 01 व 02 द्वारा अवैद्यानिक रूप से करने व उक्त तथ्यों की पुख्ता जानकारी तारीख 21.06.2021 को मौका पर्चा तैयार किये जाने एवं व प्रतिवादीगण नं. 01 व 02 के द्वारा दिनांक आराजी का कब्जा प्राप्त करने हेतु श्रीमान् के यहां वाद पत्र प्रस्तुत कर रहे है। वाद पत्र के पैरा सं. 01 में वर्णित आराणियात् जो कि वादी के खातेदारी अधिकार की होकर चाची के कब्जे काश्त में चली आ रही थी, परन्तु प्रतिवादीगण नं. 01 व 02 के द्वारा 0.05 है. पर अवैध रूप से अतिचार कर लेने के कारण वानी को अपने खातेदारी अधिकार की आराजियात् की पूरी उपज प्राप्त नहीं हो पाई और प्रतिवादीगण नं. 01 व 02 के कारण वांगी को करीब 15000/– रुपये प्रति फसल का नुकसान हो रहा है। जो भी वादी प्रतिवादीगण नं. 01 व 02 से प्राप्त करने के अधिकारी है। वादीं के द्वारा प्रतिवादीगण नं. 01 व 02 को मौके पर्चे में वर्णित 0.05 है. अवैध अतिचार को रोकने बाबत् दिनांक 15.10.2022 को कहा तो प्रतिवादीगण नं. 01 व 02 ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया और आमादा फौजदारी हुआ। इस कारण से भी वावी कब्जेयाबी का यह वाद पत्र प्रस्तुत कर रहा है। वादी की पैरा नं. 01 में वर्णित आराजी नं. 9774/7438 रकबा 0.09 है. एवं आराजी नं. 7439 रकबा 0.20 है. पर वर्ष 2020 सें ही प्रतिवादीगण नं. 01 व 02 द्वारा अवैद्यानिक रूप से करने व उक्त तथ्यों की पुख्ता जानकारी तारीख 21.06.2021 को मौका पर्चा तैयार किये जाने एवं व प्रतिवादीगण नं. 01 व 02 के द्वारा दिनांक 15.10.2022 को कब्जा छोड़ने से स्पष्ट रूप से इनकार कर देने के कारण वादी को वाव हेतु वर्ष 2020 से तारीख 21.06.2021, 15.10.2022 से पैदा होकर जारी है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि :–

1–कि वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण नं. 01 व 02 के खिलाफ कब्जेयाबी आराजियात् की डिक्री इस अमर की जारी की जावे कि वाद पत्र के पैरा नं. 03 में वर्णित आराजी नं. 9774/7438 रकबा 0.09 है. एवं आराजी नं. 7439 रकबा 0. 20 है. में से मौके पर्चे में वर्णित अनुसार प्रतिवादीगण नं. 01 के 0.05 है. रकबे पर से अवैद्यानिक कब्जे को हटाया जावे एवं कब्जा वादी को सिपुर्द किया जावे।

2– कि वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण नं. 01 व 02 के विरूद्ध हर्जाने की डिक्री इस अमर की जारी की जावे कि वर्ष 2020 से प्रतिफसल 15000/– रुपये अक्षरे पन्द्रह हजार रुपये की राशि वादी को प्रतिवादीगण नं. 01 व 02 से विलाये जाने का का आदेश बक्षावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस के तलब किया गया। नियत पेशी दिनांक 13.09.2023 को बावजूद सम्मन तामिल सूचना के प्रतिवादीगण सं0 1, 2, 4 उपस्थित नहीं हुए जिनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादगण सं. 03 का सम्मन बाद/अदम तामिल नहीं लौटा जिसकी पुनः तलबी के आदेश दिये गये। दिनांक 07.02.2024 को प्रतिवादी सं. 3 का सम्मन बार तामिल प्राप्त हुआ किन्तु प्रतिवादी उपस्थित नहीं न ही उनकी तरफ से कोई प्लीडर उपस्थित हुआ। प्रतिवादी सं. 03 के विरूद्ध दिनांक 07.02.2024 को एकतरफा कार्यवाही की गयी। प्रकरण साक्ष्य वादी के नियत किया गया। दिनांक 22.05.2024 को वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया। दिनांक 10.07.2024 को प्रकरण में वाद पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये। एवं प्रकरण में अभिभाषक वादी की एकतरफा बहस सुनी गयी। प्रकरण वास्ते आदेश के नियत किया गयां। जिसके पश्चात आदेश नहीं सुनाये जाने कारण दिनांक 13.05. 2025 को अभिभाषक वादी की पुनः बहस सुनी गयी। प्रकरण आदेश के नियत किया गया। आदेश नहीं सुनाये जाने से दिनांक 04.08.2025 को प्रकरण पुनः बहस के नियत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
आसींद, जिला-भीलवाड़ा (राज.)

दिनांक 10.11.2025 को पुनः बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि वादी की खातेदारी की कृषि भूमि आराजी सं0 9774/7438 रकबा 0.09 है0 तथा वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 03 की खातेदारी की आराजी संख्या 7439 रकबा 0.20 है0 ग्राम शाहपुरा प0ह0 शाहपुरा तहसील शाहपुरा में स्थित है। वादी द्वारा अपनी उक्त आराजियात की श्रीमान के न्यायालय के आदेश की पालना में दिनांक 21.06.20231 को पत्थरगढी किये जाने पर ज्ञात हुआ कि वादी की आराजियात 9774/7438 रकबा 0.09 है0 तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 03 की संयुक्त खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 7439 रकबा 0.20 है0 में से 0.05 है0 पर प्रतिवादीगण नम्बर 01 व 02 का अवैधानिक कब्जा पाया गया। जिसकी ताईद वाद पत्र पर उपलब्ध पत्थरगढी मौका पर्चा से होती है। अतः वादी की भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल करा कब्जा वादी को सिपुर्द किये जाने का आदेश बक्षावें।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड ग्राम शाहपुरा प0ह0 शाहपुरा तहसील शाहपुरा की जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 के खाता सं. 2952 में आराजी सं0 9774/7438 रकबा 0.0900 है0 वादी के नाम दर्ज रेकार्ड होकर वादी उक्त आराजियात का खातेदार काश्तकार है। इसी प्रकार प्रस्तुत दस्तावेज ग्राम शाहपुरा की जमाबंदी संवत् 2076 से 79 खाता संख्या 1664 में आराजी नम्बर 7439 रकबा 0.20 है0 वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 03 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 2 पत्थरगढी मौका पर्चा दिनांक 21.06.2021 अनुसार अराजी नम्बर 9774/7438 रकबा 0.0900 है0 एवं 7439 रकबा 0.20 है0 में 0.05 है0 पर प्रतिवादीगण सं0 01, 02 रामकरण, किशन पिता लक्ष्मण कहार का कब्जा पाया गया। चूंकि वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि वादी वादग्रस्त आराजी का अभिलिखित खातेदार है तथा वादग्रस्त आराजी के उपयोग, उपभोग एवं कब्जे काश्त का वैध अधिकारी है। प्रतिवादीगण सं0 01, 02 द्वारा वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 03 की वादग्रस्त खातेदारी आराजी पर किया गया कब्जा पूर्णतया विधि विरूद्ध होकर अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। जिन्हें बेदखल करवाया जाकर वादी कब्जा प्राप्त करने का विधिक रूप से हकदार है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण सं. 01, 02 भलीभांति साबित होने से वादपत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण सं. 01, 02 को वादी की वादग्रस्त खातेदारी आराजी पर विधि विरूद्ध अतिक्रमी मानते हुए इन्हें बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को सिपुर्द करवाया जाना मेरे विनम्र अभिमत में आवश्यक, उचित एवं विधिसंगत होगा।

—:: आदेश ::—

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम भलिभांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा में स्थित वादग्रस्त आराजी सं0 9774/7438 रकबा 0.0900 है0, 7439 रकबा 0.20 है0 के पत्थरगढी मौका पर्चा अनुसार 0.05 है0 पर प्रतिवादीगण सं0 01, 02 को उपर्युक्त खातेदारी आराजी पर विधि विरूद्ध अतिक्रमी घोषित करते हुए तहसीलदार शाहपुरा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त अतिक्रमियों को वादग्रस्त आराजी पर से मौके पर भौतिक रूप से बेदखल करते हुए वादग्रस्त आराजी का कब्जा संबंधित खातेदारान (वादी एवं प्रतिवादीगण नं. 03) को सुपुर्द करावें। इसी मुताबिक पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो, जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

(सुनील कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास श्री बाबू लाल, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

भंवरलाल पिता छीतर कहार निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–वादी

बनाम

1– श्री रामलाल पिता लक्ष्मण कहार निवासी शाहपुरा जिला भीलवाडा
2– श्री किशन पिता लक्ष्मण कहार निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
3– नवाब खां पुत्र भूरे खां कायमखानी निवासी भदाली खेड़ा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाडा
4– तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाडा

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र : कब्जेयाबी आराजियात् हेतु

मुकदमा नम्बर 64 सन् 2023 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व .....X..... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :–

वाके ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा में स्थित वादग्रस्त आराजी सं0 9774/7438 रकबा 0.0900 है0, 7439 रकबा 0.20 है0 के पत्थरगढी मौका पर्चा अनुसार 0.05 है0 पर प्रतिवादीगण सं0 01, 02 को उपर्युक्त खातेदारी आराजी पर विधि विरूद्ध अतिक्रमी घोषित करते हुए तहसीलदार शाहपुरा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त अतिक्रमियों को वादग्रस्त आराजी पर से मौके पर भौतिक रूप से बेदखल करते हुए वादग्रस्त आराजी का कब्जा संबंधित खातेदारान (वादी एवं प्रतिवादीगण नं. 03) को सुपुर्द करावें।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज **तारीख 10 माह 11 सन् 2025** को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी

(सुनील कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा